International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 429-432

विभिन्न राजनीतिक मुद्दे एवं बैगा जनजाति

डॉ0 सुनीता बघेल

एम0 पी0 सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सहमति जानने का प्रयास किया गया। इसमें लोकतंत्र, धर्म, जाति, आरक्षण, अल्पसंख्यक आदि राजनीतिक मुद्दे थे इसमे अधिकांश जनजातीय सदस्यों का मानना है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना चाहिए। जनजातीय एवं गैर–जनजातीय सदस्यों में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के प्रति सहमति को लेकर ज्यादा अन्तर नही है।

मूल शब्दः बैगा जनजाति, ग्राम सभा, 73वें संवैधानिक संशोधन, विभिन्न राजनीतिक मुद्दे, विभिन्न राजनीतिक पार्टी।

प्रस्तावना

व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है तथा यह ज्ञान किस मात्रा में सही या गलत है। यह व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता को स्पष्ट करता है। राजनीति का ज्ञान और राजनीतिक समाजीकरण का स्तर, राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं की आधारभूत विशेषतओं के प्रति व्यक्ति की बोधगम्यता शासन व्यवस्था में उसकी रुचि को प्रभावित करती है।

भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाएँ हैं। इन्हीं समुदायों में से एक है जनजातीय समुदाय, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है। इस आदिवासी समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग नामों की संज्ञा दी है। मार्टिन एवं रिजले ने इन्हें 'आदिवासी' हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियाँ' सर वेन्स ने इन्हें 'पर्वतीय आदिम जातियाँ' या वन्य जातियाँ घुरिये ने इन्हें 'पिछड़े हुए हिन्दु' तथा वनों में रहने के कारण गाँधीजी ने इन्हें 'गिरिजन' के नाम से पुकारा है। भारतीय संविधान में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से सूचीबद्ध किया गया है (पालोत, आर. सी. 1987: 1)।

जनजातीय समाज के लोगों का राजनीतिक सहभागिता, और सक्रियता से सम्बंधित तथ्यों का विष्लेषण किया गया है। अध्ययन में सम्मिलित जनजातीय सदस्यों में आधे से अधिक परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा चर्चा करते हैं। एक तिहाई सदस्य ऐसे हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर कभी–कभार चर्चा करते हैं। राजनीतिक चर्चा के संदर्भ में जनजातीय सदस्यों की स्थिति गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं के समान ही हैं।

अध्ययन हेतु समग्र के रूप में मध्यप्रदेश राज्य के बालाघाट जिले का चयन किया गया है। बालाघाट जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है जिसमें तीन विकासखण्ड बैहर, बिरसा, एवं परसवाडा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। अध्ययन हेतु सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य दो विकासखण्ड, बैहर तथा बिरसा को चयनित किया गया है। यहाँ जनजातीय विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अनेक कार्य सरकारी एवं गैर–सरकारी तौर पर किया जा रहा हैं जिससे जनजातीय समाज में आये परिर्वतनों का अध्ययन, की महती आवश्यकता है। इन चयनित दो विकासखण्डों से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पांच–पांच ग्राम चयनित किये गये। इस प्रकार दो विकासखण्डों में से कुल 10 ग्राम को अध्ययन हेतु चुना गया। प्रत्यके ग्राम से 18 जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं 6 गैर–जनजातीय ग्राम सभा सदस्यों को यादृच्छिक आधार पर चयनित किया गया। इस प्रकार 10 ग्रामों से 180 जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं 60 गैर–जनजातीय ग्रामसभा सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अतः निदर्षन का कुल आकार 240 है।

अध्ययन में विषय से सम्बंधित द्वितीयक तथ्यों से भी संकलन किया किया गया। इस हेतु विषय से सम्बंधित पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, पुस्तकें, जर्नल्स, समाचार–पत्र, अध्यादेश, अधिनियम, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रकाशित/अप्रकाशित अभिलेखों, रिपोर्टों, विवरणिकाओं आदि से तथ्य संग्रहीत किए गये।

अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। बालाघाट जिला $21^{0}9$ से $22^{0}24$ उत्तरी अक्षांश तथा $79^{0}31$ से $81^{0}03$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बालाघाट जिले की सीमा दो राज्यों को छूती है। दक्षिण में यह महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा एवं नागपुर जिले से मिलती है जबकि पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) जिले से मिलती है। पश्चिम में सिवनी जिला तथा उत्तर में मंडला जिला इसकी सीमाओं को छूता है। बालाघाट जिले का कुल क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बालाघाट जिला 8 तहसीलों, 10 विकासखण्डों एवं 629 ग्राम पंचायतों में विभाजित है।

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 17,01,698 है। जिसमें जनजातियों की जनसंख्या 3,83,026 है जो कुल जनसंख्या का 22.5 प्रतिशत है। बालाघाट जिले की साक्षरता 77.1 प्रतिशत है जिसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 85.4 व 69.0 है। जबकि जिले में जनजातियों की साक्षरता 67 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष 37 प्रतिशत एवं महिला 31 प्रतिशत है।

विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सहमति

उत्तरदाताओं से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनकी सहमति जानने का प्रयास किया गया । इसमे लोकतंत्र, धर्म, जाति, आरक्षण, अल्पसंख्यक आदि से संबंधित मुद्दे थे। जिसे तालिका 1 में प्रदर्षित किया गया हैं।

तालिका 1: विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सहमति

क्र. सं.	विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सहमति	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना ठीक ही है।	136 (75.5)	45 (90.0)
2	जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के लेगों को बांटता हैं।	124 (68.8)	53 (88.3)
3	हमें खुद को सबसे पहले भारतीय मानना चाहिए उसके बाद ही आता है, हमारा प्रदेष	131 (72.7)	58 (96.6)
4	सरकार को अल्पसंख्यो के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे वो बहुसंख्यको के साथ करती है।	132 (73.3)	53 (88.3)
5	सरकार को अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रावधान/कानून बनाने चाहिए	133 (73.8)	52 (86.6)

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि 75.5 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना चाहिए, को मानते है, 68.8 प्रतिशत का मानना है कि जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के लोगों को बांटता है, 72.7 प्रतिशत मानते हैं हमें खुद को सबसे पहले भारतीय मानना चाहिए उसके बाद ही प्रदेश आता है, 73.3 प्रतिशत मानते है कि हैं कि सरकार को अल्पसंख्यकों के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे वो बहुसंख्यकों के साथ करती है एवं 73.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार को अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रावधान/कानून बनाने चाहिए जबकि 90.0 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना चाहिए, को मानते हैं, 88.3 प्रतिशत जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के लोगों को बांटता है, को मानते हैं, 96.6 प्रतिशत मानते हैं हमें खुद को सबसे पहले भारतीय मानना चाहिए उसके बाद ही प्रदेश आता है, 88.3 प्रतिशत मानते हैं कि सरकार को अल्पसंख्यकों के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे वो बहुसंख्यकों के साथ करती है एवं 86.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार को अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रावधान/कानून बनाने चाहिए। अतः स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाता एवं गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना चाहिए। इस प्रकार जनजातीय एवं गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर ज्यादा अन्तर नही हैं।

क्या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिससे आप अपने को नजदीक महसूस करते हैं

उत्तरदाताओं से क्या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिससे आप अपने को नजदीक महसूस करते हैं, के सम्बंध में की जानकारी ली गयी। प्राप्त तथ्यों को तालिका 2 में स्पष्ट किया गया हैं।

तालिका 2: क्या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिससे आप अपने को नजदीक महसूस करते हैं

क्र. सं.	राजनीतिक पार्टी	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	हॉ	126 (70.0)	50 (83.3)
2	नही	54 (30.0)	10 (16.7)
	कुल	180 (100)	60 (100)
यदि हॉ तो कौन सी पार्टी ?			
1	भारतीय जनता पार्टी	96 (76.1)	45 (90.0)
2	कांग्रेस पार्टी	16 (12.6)	8 (16)
3	समाजवादी पार्टी	6 (4.7)	2 (4.0)
4	बहुजन समाज पार्टी	8 (6.3)	5 (10.0)
	कुल	126 (100)	50 (100)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि 70.0 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता राजनीतिक पार्टी को नजदीक महसूस करते हैं जबकि 30.0 प्रतिशत किसी भी राजनीतिक पार्टी को नजदीक महसूस नहीं करते हैं। यदि हॉ तो कौन सी पार्टी पूछने पर 76.1 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को अपने नजदीक मानते है, 12.6 प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को अपने नजदीक मानते है, 4.7 प्रतिशत समाजवादी पार्टी को अपने नजदीक मानते है और 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता बहुजन समाज पार्टी को अपने नजदीक महसूस करते हैं जबकि 83.3 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता राजनीतिक पार्टी को नजदीक महसूस करते हैं जबकि 16.7 प्रतिशत किसी भी राजनीतिक पार्टी को नजदीक महसूस नहीं करते हैं। यदि हॉ तो कौन सी पार्टी पूछने पर 90.0 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को अपने नजदीक मानते है, 16.0 प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को अपने नजदीक मानते है, 4.0 प्रतिशत समाजवादी पार्टी को अपने नजदीक मानते है और 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता बहुजन समाज पार्टी को अपने नजदीक महसूस करते हैं। अतः स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाता एवं गैर–जनजातीय उत्तरदाता भारतीय जनता पार्टी को अपने नजदीक महसूस करते हैं।

पिछले पांच वर्षो में विभिन्न मामलों में हालत की स्थिति

पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न मामलों में हालत पहले से बेहतर हुई है या नही? इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी ली गयी। जिसे तालिका 3 प्रदर्षित किया गया है।

तालिका 3: पिछले पांच वर्षो में इन मामलों में हालत पहले से बेहतर हुई

क्र. सं.	हालत पहले से बेहतर हुई हैं	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	सरकारी स्कूलों की हालत	126 (70.0)	56 (93.3)
2	जातिगत भेदभाव	107 (59.4)	42 (70.0)
3	महिलाओं की सुरक्षा	115 (63.8)	36 (60.0)
4	रोजगार के अवसर	113 (62.7)	42 (70.0)
5	बिजली की आपूर्ति	162 (90.0)	42 (70.0)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि 70.0 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता के मतानुसार सरकारी स्कूलों की हालत पहले से बेहतर है, 59.4 प्रतिशत ने जातिगत भेदभाव, को बेहतर बताया हैं, 74.4 प्रतिशत ने महिला सुरक्षा, को पहले से बेहतर बताया हैं, 62.7 प्रतिषत ने रोजगार के अवसर को पहले से बेहतर बताया है और 90.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बिजली की आपूर्ति की हालत को पिछले पांच वर्षों से बेहतर बताया है जबकि 93.3 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता के मतानुसार सरकारी स्कूलों की हालत पहले से बेहतर है, 70.0 प्रतिशत समान रूप से जातिगत भेदभाव, रोजगार के अवसर को एवं बिजली की आपूर्ति की हालत को पिछले पांच वर्षों से बेहतर बताया है, 60.0 प्रतिशत ने महिलाओं की सुरक्षा बेहतर बताया हैं। अतः स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाताओं ने बिजली की आपूर्ति को बेहतर बताया है एवं सरकारी स्कूलों की हालत पहले से बेहतर बताया हैं। जबकि सर्वाधिक गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं ने सरकारी स्कूलों की हालत को पहले से बेहतर बताया हैं एवं जातिगत भेदभाव, रोजगार के अवसर, एवं बिजली की आपूर्ति को भी पहले की अपेक्षा बेहतर बताया है

पिछले पांच वर्षो में सरकारी योजनाओं से लाभ

पिछले पॉच वर्षो में किन सरकारी योजनाओं से लाभ मिला, इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त तथ्यों को तालिका 4 में प्रदर्षित किया गया है।

तालिका 4: पिछले पांच वर्षो में इन सरकारी योजनाओं से लाभ

क्र. सं.	सरकारी योजनाओं से फायदा	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	घर बनाने के लिए पैसा (इंदिरा/राजीव आवास योजना)	97 (53.8)	33 (55.0)
2	रोजगार गांरटी योजना (नरेगा)	86 (47.7)	53 (88.3)
3	मुक्त दवाई की सुविधाए (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)	100 (55.5)	34 (56.7)
4	पेंशन/भत्ता	58 (32.2)	22 (36.7)

तालिका 4 अवलोकन से स्पष्ट है कि 53.8 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता को घर बनाने के लिए पैसा (इंदिरा/राजीव आवास योजना) का लाभ मिला बताया है, 47.7 प्रतिशत को रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लाभ मिला बताया है, 55.5 प्रतिशत को मुफ्त दवाई की सुविधा (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) से लाभ मिला है एवं 32.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पेंशन भत्ता योजना का लाभ मिला है जबकि 55.0 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता को घर बनाने के लिए पैसा (इंदिरा/राजीव आवास योजना) का लाभ मिला बताया है, 88.3 प्रतिशत को रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लाभ मिला बताया है, 56.7 प्रतिशत को मुफ्त दवाई की सुविधा (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) से लाभ मिला है एवं 36.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पेंशन भत्ता योजना का लाभ मिला है। स्पष्ट है कि आधे से अधिक जनजातीय उत्तरदाताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं इंदिरा/राजीव आवास योजना का लाभ मिला जबकि सर्वाधिक गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं को रोजगार गांरटी योजना (नरेगा) का लाभ मिला। इस प्रकार जनजातीय उत्तरदाता एवं गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं को अलग–अलग योजनाओं का अलग–अलग प्रकार से लाभ मिला है।

निष्कर्ष

विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सहमति जानने का प्रयास किया गया। इसमें लोकतंत्र, धर्म, जाति, आरक्षण, अल्पसंख्यक आदि राजनीतिक मुद्दे थे इसमे अधिकांश जनजातीय सदस्यों का मानना है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना चाहिए। जनजातीय एवं गैर–जनजातीय सदस्यों में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के प्रति सहमति को लेकर ज्यादा अन्तर नही है।

क्या ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिससे आप अपने को नजदीक महसूस करते है, इसकी जानकारी में अधिकांश जनजातीय सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने नजदीक बताया है। पिछले पांच वर्षो में सरकारी स्कूलों, जातिगत भेदभाव, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के अवसर, बिजली की आपूर्ति के बारे में अधिकांश जनजातीय सदस्यों ने बिजली की आपूर्ति को बेहतर बताया है एवं सरकारी स्कूलों की स्थिति भी पहले से ज्यादा बेहतर बताया है।

पिछले पांच वर्षो में सरकारी योजनाओं के लाभ के संदर्भ में देखें तो आधे से अधिक जनजातीय सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं इंदिरा/राजीव आवास योजना का लाभ मिला है। विभिन्न संस्थाओं एवं पदों जैसे–प्रधानमंत्री, संसद, स्थानीय सरकार, पुलिस, मीडिया आदि पर जनजातीय सदस्यों के विश्वास के संदर्भ में देखें तो उच्च स्तर की संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर उनका विष्वास अधिक है। समस्याओं को लेकर सम्बंधितों से सम्पर्क के सन्दर्भ में जनजातीय सदस्य परम्परागत/सामुदायिक नेताओं से संपर्क करते हैं वहीं गैर–जनजातीय सदस्य, गैर–सरकारी सगठनों के प्रतिनिधि से, परम्परागत नेताओं से एवं अन्य प्रभावी व्यक्तियों से भी अपनी समस्या व सरकारी नीति संबंधित संपर्क करते हैं।

सुझाव

जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

- जनजातीय समाज को शिक्षित बनाते हुए, उन्हे योजना के कार्यक्रमों एवं प्रावधानों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस हेतु जनजातीय ग्रामों में जन–शिक्षण के कार्यक्रम, जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अन्य प्रचार के माध्यमों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
- विकास योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए। इस सन्दर्भ में साप्ताहिक/दैनिक

बाजारों, हाटों, सड़क के किनारे, चौराहे तथा ग्राम सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग को जोड़ा जाए एवं उन्हे कोई व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता की जाए इससे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन में सुधार भी होगा तथा उनके जीवन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

- जनजातीय क्षेत्रो में पंचायत प्रतिनिधियों को शासन द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण षिविर लगाए जाए।
- जनजातीय ग्राम में ऐसा अभिकरण (कार्यालय) स्थापित किया जाए जिससे ग्राम वासियों को रोजमर्रा की सूचनाएँ प्राप्त हो एवं समस्याओं का निदान किया जा सके और उन्हें सूचना के अधिकारों के प्रति जाग्रत किया जाए।
- जनजातीय क्षेत्रों में टेलीविजन पर अधिक से अधिक समाचार चैनलों का प्रसारण किया जाए जिससे जनजातीय समुदाय में राजनीतिक सजगता को बढ़ावा मिले।
- गैर–सरकारी संगठनों को कार्यो के चयन तथा क्रियान्वयन में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाते हुए अधिकांश लोगों की सहमति से कार्य करना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय की भागीदारी बढ़ सके।
- शिक्षण संस्थायें राजनीतिक समाजीकरण में सही भूमिका निभा सके इसलिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पहुँच उन तक हो जिससे राजनीतिक समाजीकरण के आधारभूत अभिकरणों के रूप में सही भूमिका निभा सके।
- जन–संचार के माध्यम अत्यधिक सीधे रास्ते से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए की संचार माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण रखकर इनकी सहायता से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियाँ को प्रोत्साहित किया जाए।

संक्षेप में जनजातीय समाज में राजीनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, संचार के साधन, रानीतिक दल, गैर–सरकारी संगठन, सरकार की अन्य योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। तथापि जनजातीय क्षेत्रों में इन साधनों का प्रभाव व जन–सहभागिता में कमी एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यामान रहा है। अतः यह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर जनजातीय समुदाय को उचित अवसर प्राप्त हो तभी इस समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती हैं।

संदर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 178–186।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा पृ. 108–115।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ. 1–4।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मैकलेण्ड, जे एम (1967): मासा मीडिया एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पेपर प्रेसेन्टेड एट द एसोसिएशन फॉर एज्यूकेशन इन जर्नलिज्म, बोल्डर पृ. 78–80।
8. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर, पृ. 54–55।
9. मिश्रा, राजीव (2008): वालेन्टरी सेक्टर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 50–60।
10. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5 पृ. 1–9।
11. पालोत, आर सी (1987): राजस्थान की वनविहारी जनजातियॉ, नीलकमल ब्रदर्स, डूंगरपुर पृ. 1।
12. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
13. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. 85–86।
14. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6–14।
15. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6–16।
16. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 34।
17. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 100–112।
18. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति पृ. 8–13।
19. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,भोपाल पृ. 200।
20. राकेश, भट्ट (1995): जनजातीय उद्यमिता का विकास, हिमांशु पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 8–13।
21. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 2–4।
22. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, काउन पब्लिकेशन्स राची पृ. 193।
23. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 7–16।